प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : <u>www.rbi.org.in/hindi</u> Website : <u>www.rbi.org.in</u> ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,

Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

8 अगस्त 2025

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना के अंतर्गत समय-पूर्व मोचन – 11 अगस्त 2025 को देय एसजीबी 2019-20 शृंखला-IX और एसजीबी 2020-21 शृंखला-V के समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य

सॉवरेन स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की दिनांक 30 सितंबर 2019 की अधिसूचना एफ.सं. 4(7)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2019 (एसजीबी 2019-20 शृंखला-IX - जारी करने की तारीख 11 फरवरी 2020) और भारत सरकार की दिनांक 13 अप्रैल 2020 की अधिसूचना एफ.सं. 4(4)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020 (एसजीबी 2020-21 शृंखला-V - जारी करने की तारीख 11 अगस्त 2020) के अनुसार, स्वर्ण बॉण्ड के जारी होने की तारीख, जिस तारीख से ब्याज देय है, से पांच वर्ष के बाद उस स्वर्ण बॉण्ड के समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है। तद्नुसार, उपरोक्त शृंखलाओं के समय-पूर्व मोचन की अगली देय तिथि 11 अगस्त 2025 होगी।

2. इसके अलावा, एसजीबी का मोचन मूल्य, मोचन की तारीख से पहले के तीन कारोबारी दिवसों के इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (आईबीजेए) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले स्वर्ण के बंद भाव के साधारण औसत पर आधारित होगा। तद्नुसार, 11 अगस्त 2025 को देय समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य ₹10,070/- (दस हजार सत्तर रुपये मात्र) प्रति एसजीबी यूनिट होगा, जो तीन कारोबारी दिवसों अर्थात् 6 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त 2025 को स्वर्ण के बंद भाव के साधारण औसत पर आधारित होगा।

अजीत प्रसाद उप महाप्रबंधक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/874